

स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1986



(1986 का अधिनियम संख्यांक 30)

[30 मई, 1986]

स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड के कुछ कपड़ा उपक्रमों का, कपड़े और सूत की विभिन्न किस्मों का निरन्तर विनिर्माण, उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करके, ऐसे उपक्रमों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे कि ऐसे उपक्रम जनसाधारण का हित साधन कर सकें, अर्जन और अन्तरण करने और उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट तत्त्वों को स्थापित करने की राज्य की नीति को क्रियान्वित करने और उससे सम्बद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, अपने छह कपड़ा उपक्रमों के माध्यम से विभिन्न किस्मों के कपड़े और सूत के विनिर्माण और उत्पादन में लगी हुई है ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त कपड़ा उपक्रमों का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन ग्रहण कर लिया था ;

और उक्त कपड़ा उपक्रमों को सजीव बनाए रखने के लिए बहुत अधिक धनराशि का विनिधान किया गया है ;

और कंपनी के उक्त कपड़ा उपक्रमों द्वारा कपड़े और सूत के विनिर्माण, उत्पादन और वितरण की उपलब्ध सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए बहुत अधिक राशि का और विनिधान करना आवश्यक है ;

और ऐसा विनिधान इसलिए भी आवश्यक है कि उक्त कपड़ा उपक्रमों में नियोजित कर्मकारों का नियोजन निरन्तर बना रहे ;

और लोकहित में यह आवश्यक है कि स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड के उक्त कपड़ा उपक्रमों का यह सुनिश्चित करने के लिए अर्जन किया जाए कि कंपनी के उपक्रमों द्वारा विभिन्न किस्मों के कपड़ों और सूत का, जो देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, विनिर्माण, उत्पादन और वितरण निरन्तर चालू रखकर जनसाधारण का हित साधन हो ;

और यह अर्जन संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट तत्त्वों को स्थापित करने की राज्य की नीति को क्रियान्वित करने के लिए है ;

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 है ।

(2) धारा 27 और धारा 28 के उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और अधिनियम के शेष उपबन्ध 1 अप्रैल, 1985 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “नियत दिन” से 1 अप्रैल, 1985 अभिप्रेत है ;

(ख) “आयुक्त” से धारा 15 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) “कंपनी” से स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थान्तर्गत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्वदेशी हाउस, सिविल लाइन्स, कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है ;

(घ) “ग्रहण की तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको कंपनी के कपड़ा उपक्रमों का प्रबंध भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 265(अ), तारीख 13 अप्रैल, 1978 के द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ग्रहण किया गया था ;

(ङ) “नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन” से नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है ;

(च) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) “अध्यादेश” से स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1986 (1986 का 5) अभिप्रेत है ;

(ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के सम्बन्ध में, “विनिर्दिष्ट तारीख” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, और उस स्थान में, जहां कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, परिचालित समाचारपत्रों में अधिसूचना द्वारा इस उपबन्ध के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(ञ) “समनुषंगी कपड़ा निगम” से नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन द्वारा अपने समनुषंगी के रूप में बनाया गया कोई कपड़ा निगम अभिप्रेत है ;

(ट) “कपड़ा उपक्रम” से कंपनी के नीचे विनिर्दिष्ट छह कपड़ा उपक्रम अभिप्रेत हैं :—

- (i) स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर ;
- (ii) स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी ;
- (iii) स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी ;
- (iv) स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन ;
- (v) उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर ;
- (vi) रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली ;

(ठ) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

कपड़ा उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण

3. कपड़ा उपक्रमों का अन्तरण और निहित होना—(1) नियत दिन को प्रत्येक कपड़ा उपक्रम और ऐसे प्रत्येक उपक्रम के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(2) प्रत्येक ऐसा कपड़ा उपक्रम, जो उपधारा (1) के आधार पर केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाता है, इस प्रकार निहित होने के तुरन्त पश्चात् नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएगा ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) धारा 3 में निर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत कपड़ा उपक्रमों से संबंधित सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम संपत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, आरक्षित निधियां, विनिधान और बही ऋण तथा ऐसी संपत्ति से उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन से ठीक पूर्व कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे, और तत्संबंधी सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेज हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी संपत्तियां, जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, निहित हो जाने के बल पर किसी भी न्याय, बाध्यता, बन्धक, भार, धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी तथा किसी न्यायालय, या किसी अन्य प्राधिकरण की किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश की बाबत, जो ऐसी संपत्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्वन्धित करता है, यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिया गया है ।

(3) जहां कपड़ा उपक्रमों के संबंध में, कंपनी को कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत नियत दिन से पूर्व किसी समय केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दी गई है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य

लिखत में उस दिन से ही कंपनी के स्थान पर नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन उसी प्रकार प्रतिस्थापित हो गया है मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को दी गई थी और वह कार्पोरेशन उसे उस शेष अवधि के लिए धारण करेगा जिसके लिए ऐसी कंपनी जिसे वह अनुदत्त की गई थी उसे उसके निबन्धनों के अधीन धारण करती।

(4) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का बन्धकदार या उसमें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट रकमों में से बन्धक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णतः या भागतः संदाय के लिए अपने अधिकारों या हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा किन्तु ऐसा कोई बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है।

(6) यदि नियत दिन को किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या लाया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लम्बित है तो कपड़ा उपक्रमों के अन्तरण या इस अधिनियम की किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी और उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी या प्रवृत्त की जा सकेगी।

5. कुछ पूर्व दायित्वों के लिए कंपनी का दायी होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कपड़ा उपक्रम के सम्बन्ध में कंपनी का प्रत्येक दायित्व, कंपनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केन्द्रीय सरकार या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) इस धारा या इस अधिनियम की किसी अन्य धारा में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन से पूर्व की किसी अवधि की बाबत कपड़ा उपक्रमों के संबंध में कंपनी का कोई दायित्व केन्द्रीय सरकार या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) किसी कपड़ा उपक्रम के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश जो उस दिन के पूर्व उत्पन्न हुए किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद के बारे में नियत दिन के पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ग) किसी कपड़ा उपक्रम के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के नियत दिन के पूर्व किए गए उल्लंघन के लिए उपगत कंपनी का कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा।

6. किसी कपड़ा उपक्रम या उसके भाग का समनुषंगी कपड़ा निगम को अन्तरण—(1) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन, लिखित आदेश द्वारा, किसी कपड़ा उपक्रम को या उसके किसी भाग को समनुषंगी कपड़ा निगम को अंतरित कर सकेगा और ऐसा अंतरण ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगा जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) समनुषंगी कपड़ा निगम, ऐसे अंतरण की तारीख से ही, धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के स्थान पर इस प्रकार प्रतिस्थापित समझा जाएगा मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत समनुषंगी कपड़ा निगम को दी गई थी और ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत को उस शेष अवधि के लिए धारण करेगा जिसके लिए नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन वह अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत धारण करता।

(3) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी ऐसे कपड़ा उपक्रम या उसके भाग के संबंध में, जो समनुषंगी कपड़ा निगम को अंतरित किया गया है, इस अधिनियम में नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो वह समनुषंगी कपड़ा निगम के प्रति निर्देश हो।

7. केन्द्रीय सरकार द्वारा नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को अन्तरित आस्तियों के मूल्य के लिए उस निगम द्वारा अंशों का पुरोधरण—धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को अन्तरित और उसमें निहित कपड़ा उपक्रमों की आस्तियों के मूल्य के बराबर रकम को नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन की साधारण पूंजी में केन्द्रीय सरकार का अभिदाय समझा जाएगा ; और इस प्रकार किए गए अभिदाय के लिए नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (यदि आवश्यक हो तो अपने संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद का संशोधन करके) केन्द्रीय सरकार को अपनी साधारण पूंजी में धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर अंकित मूल्य के समादत्त अंश पुरोधृत करेगा।

अध्याय 3

रकमों का संदाय



8. रकम का संदाय—कंपनी के कपड़ा उपक्रमों तथा ऐसे उपक्रमों के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक तथा हित के, धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरण और उसमें निहित होने के लिए केन्द्रीय सरकार कंपनी को चौबीस करोड़ बत्तीस लाख रुपए की रकम नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रूप में देगी।

9. अतिरिक्त रकमों का संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार कंपनी को उसके कपड़ा उपक्रमों के प्रबंध से उसे वंचित किए जाने के लिए दस हजार रुपए प्रति वर्ष की दर से परिकलित रकम, उस तारीख से प्रारम्भ होकर, जिसको कंपनी के कपड़ा उपक्रमों का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण किया गया था, नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद देगी।

(2) धारा 3 और धारा 4 के उपबन्धों के भूतलक्षी प्रभाव के प्रतिफलस्वरूप केन्द्रीय सरकार कंपनी को दस हजार रुपए प्रति वर्ष की दर से परिकलित रकम, नियत दिन से प्रारम्भ होकर उस तारीख को जिसको अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद देगी।

(3) धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकम और उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकमों पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण व्याज, नियत दिन से प्रारम्भ होकर, उस तारीख को जिसको ऐसी रकम का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए, दिया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकमों को कंपनी को उस रकम के अतिरिक्त देगी, जो धारा 8 में विनिर्दिष्ट है।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कंपनी के कपड़ा उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उसके दायित्वों का उन्मोचन कंपनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकमों में से और उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन अवधारित रकमों में से भी किया जाएगा।

अध्याय 4

कपड़ा उपक्रमों का प्रबंध आदि

10. कपड़ा उपक्रमों का प्रबंध आदि—नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे वह कार्पोरेशन लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस कपड़ा उपक्रम के, जिसके संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस निगम में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार के साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबंध की शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा और ऐसे सभी कार्य करेगा जो कंपनी करने के लिए प्राधिकृत थी।

11. कतिपय परिस्थितियों में कपड़ा उपक्रमों की आस्तियों के व्ययन के लिए विशेष उपबंध—यदि नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन, किसी कपड़ा उपक्रम के बेहतर प्रबंध, आधुनिकरण, पुनःसंरचना या पुनरुज्जीवन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो, वह, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, कपड़ा उपक्रमों में से किसी भूमि, संयंत्र, मशीनरी या किसी अन्य आस्ति का अंतरण, बंधक, विक्रय या अन्यथा व्ययन कर सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी अंतरण, बंधक, विक्रय या व्ययन के आगमों का उपयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी अभिप्राप्त की गई है, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

12. कपड़ा उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियों आदि का परिदान करने का कर्तव्य—कपड़ा उपक्रम के नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन में निहित हो जाने पर, ऐसे निहित होने से ठीक पूर्व किसी कपड़ा उपक्रम के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को उस कपड़ा उपक्रम से संबंधित ऐसी सभी आस्तियां, लेखाबहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें परिदत्त करने के लिए आबद्धकर होंगे जो उनकी अभिरक्षा में हों।

अध्याय 5

कपड़ा उपक्रमों के कर्मचारियों से संबंधित उपबंध

12. कपड़ा उपक्रमों के कर्मचारियों का बना रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी द्वारा किसी कपड़ा उपक्रम के संबंध में नियोजित रहा है, नियत दिन से ही नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन का कर्मचारी हो जाएगा और पेंशन, उपदान और अन्य वैसी ही बातों के बारे में निगम के अधीन वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे उस स्थिति में अनुज्ञेय होते यदि ऐसे कपड़ा उपक्रम के संबंध में अधिकार नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को अंतरित न किए गए होते और

¹ 1995 के अधिनियम सं० 40 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

उसमें निहित न किए जाते और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक उस निगम में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसके पारिश्रमिक और सेवा के निबंधनों तथा शर्तों में वह निगम सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर देता है।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कपड़ा उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा दावा कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण ग्रहण नहीं करेगा।

13. भविष्य निधि तथा अन्य निधियां—(1) जहां कंपनी ने किसी कपड़ा उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि या कल्याण निधि या अन्य निधि स्थापित की है वहां ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्तरित की गई हैं, संबंधित धनराशियां ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में, नियत दिन को जमा धनराशियों में से, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी।

(2) उन धनराशियों के संबंध में, जो नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित हो जाती हैं, उस कार्पोरेशन द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए।

14. कर्मचारियों का समनुषंगी कपड़ा निगम को अंतरण—जहां इस अधिनियम के अधीन कोई कपड़ा उपक्रम या उसका कोई भाग समनुषंगी कपड़ा निगम को अन्तरित किया जाता है वहां धारा 12 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्तरण की तारीख से ही समनुषंगी कपड़ा निगम का कर्मचारी हो जाएगा तथा नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के ऐसे कर्मचारियों को धारा 12 और धारा 13 के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त धाराओं में नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के प्रति निर्देश समनुषंगी कपड़ा निगम के प्रति निर्देश हो।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

15. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 8 और धारा 9 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे, और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को भी इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जा सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे शक्तियां उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदान की गई हों, प्राधिकार के रूप में नहीं।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे।

16. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कंपनी को संदाय करने के लिए आयुक्त को, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर, उतनी रकम नकद देगी जो धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर है, और धारा 9 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के बराबर है।

(2) केन्द्रीय सरकार, भारत के लोक खाते में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त प्रत्येक रकम, उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकमों पर प्रोद्भूत होने वाला व्याज कंपनी के फायदे के लिए काम आएगा।

17. नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन की कुछ शक्तियां—(1) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया कोई ऐसा धन, जो किसी कपड़ा उपक्रम के संबंध में शोध्य है, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, विनिर्दिष्ट तारीख तक, प्राप्त करने का हकदार, इस बात के होते हुए भी होगा कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की अवधि से संबंधित है।

(2) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन, आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के संबंध में दावा कर सकेगा जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कंपनी के किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा किसी कपड़ा उपक्रम के संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियत दिन के पश्चात् किन्तु उस तारीख के पूर्व, जिसको अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, किया गया है और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को, जिसके संबंध में ऐसे दायित्व का निर्वहन प्राधिकृत व्यक्ति ने किया है, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत किसी कपड़ा उपक्रम के संबंध में ऐसे दायित्व, जिनका प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्वहन नहीं किया गया है, कंपनी के दायित्व होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्राधिकृत व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निकाले गए भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्यांक का० आ० 265(अ), तारीख 13 अप्रैल, 1978 के अनुसरण में किसी कपड़ा उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है।

18. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कंपनी के विरुद्ध कपड़ा उपक्रमों के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अन्दर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अन्दर दावा ग्रहण कर सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

19. दावों की पूर्विकता—अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से उद्भूत होने वाले दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग 1 को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग 2 को प्रवर्ग 3 पर अग्रता दी जाएगी, और इसी प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और उनका पूर्णतः संदाय किया जाएगा किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णतः चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे आनुपातिक रूप में कम कर दिए जाएंगे और उनका तदनुसार संदाय किया जाएगा ; और

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के निर्वहन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए।

20. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 18 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर उन्हें अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार क्रमबद्ध करेगा और ऐसे पूर्विकता क्रम से उनकी परीक्षा करेगा।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत किसी दावे की परीक्षा करे।

21. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में उपवर्णित पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से कंपनी के विरुद्ध दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिससे पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा।

(2) इस प्रकार नियत तारीख की कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के जो देश के अधिकांश भाग में पढ़ा जाता हो, एक अंक में और ऐसी प्रादेशिक भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के जो आयुक्त उपयुक्त समझे, एक अंक में, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत विज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर आयुक्त के समक्ष फाइल करे।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(4) आयुक्त, ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक है, और कंपनी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, दावे को पूर्णतः या भागतः स्वीकार या अस्वीकार करेगा।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अन्तर्गत वह या वे स्थान भी हैं, जहां वह अपनी बैठकें कर सकेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना,

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील, आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय को होगी और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी।

22. आयुक्त द्वारा दावेदारों को धन का संवितरण—(1) इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकम शोध्य है और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर ऐसे दावे की बाबत कंपनी के दायित्व का निर्वहन हो जाएगा।

(2) यदि टेक्सटाइल उपक्रमों के संबंध में उसको संदत्त धन में से अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है, तो आयुक्त ऐसे अतिशेष का संवितरण कंपनी को करेगा।

23. असंवितरित या दावा न की गई रकम का साधारण राजस्व खाते में निक्षिप्त किया जाना—यदि आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, जिसको आयुक्त का पद अन्तिम रूप से परिसमाप्त किया जाता है, असंवितरित रहता है या उसके बारे में कोई दावा नहीं किया गया है, तो वह आयुक्त द्वारा अपने पद के अन्तिम रूप से परिसमापन से पूर्व केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते को अंतरित किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार अंतरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकता है और उस संबंध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अंतरण नहीं किया गया था और दावे के संदाय के लिए किया गया आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिसंदाय के लिए किया गया आदेश माना जाएगा।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

24. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

25. दायित्व का ग्रहण—(1) जहां किसी कपड़ा उपक्रम के संबंध में भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी मद से उद्भूत होने वाला कंपनी का कोई दायित्व इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को संदत्त रकम में से पूर्णतः उन्मोचित नहीं होता है वहां आयुक्त, केन्द्रीय सरकार को शेष अनुमोचित दायित्व के विस्तार के विषय में लिखित सूचना देगा और केन्द्रीय सरकार उस दायित्व को ग्रहण करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को, उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण किए गए दायित्व को स्वीकार करने के लिए निदेश देगी और ऐसे निदेश की प्राप्ति पर उस निगम का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे दायित्व का निर्वहन करे।

26. नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में संविदाओं का प्रभावहीन हो जाना—कंपनी द्वारा किसी कपड़ा उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन में निहित हो गया है, किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, उस तारीख से, जिसको अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है, एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी संविदा का उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिखित रूप में अनुसमर्थन नहीं कर देता है और नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में, उसमें ऐसे परिवर्तन या उपांतरण कर सकेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप या संविदा में कोई परिवर्तन या उपांतरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि—

(क) उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असदभावपूर्वक की गई है या, संबंधित कपड़ा उपक्रम के लिए अहितकर है, और

(ख) वह ऐसी संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे देता है और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार या उसमें कोई परिवर्तन या उपांतरण करने के अपने कारण अभिलिखित नहीं कर देता है।

27. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति,—

(क) किसी कपड़ा उपक्रम की भागरूप किसी ऐसी संपत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन से सदोष विधारित करेगा, या

(ख) कपड़ा उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसको प्रतिधारित करेगा, या

(ग) ऐसे कपड़ा उपक्रम से संबंधित किसी दस्तावेज या तालिका को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को या उस कार्पोरेशन द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा, या

(घ) किसी कपड़ा उपक्रम की भागरूप किसी तालिका या सम्पत्ति और आस्ति को नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को देने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ङ) किसी कपड़ा उपक्रम से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्ट्रों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन या उस कार्पोरेशन द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को देने में असफल रहेगा ; या

(च) किसी कपड़ा उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

28. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरादायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उक्त फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

29. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उसके किसी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन या समनुषंगी कपड़ा निगम या उस कार्पोरेशन के किसी अधिकारी या ऐसे कार्पोरेशन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उसके किसी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन या समनुषंगी कपड़ा निगम, या ऐसे कार्पोरेशन अथवा निगम के किसी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

30. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा और धारा 31 या धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) जब कभी शक्ति का कोई प्रत्यायोजन उपधारा (1) के अधीन किया जाता है तब वह व्यक्ति जिसको ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है, केन्द्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

31. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—



(क) वह समय, जिसके अन्दर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन आयुक्त को कोई सूचना दी जाएगी,

(ख) वह रीति जिससे धारा 13 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि के धन की बाबत कार्रवाई की जाएगी,

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है, दो वर्ष की अवधि की सामाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

33. निरसन और व्यावृत्ति—(1) स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1986 (1986 का 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

[धारा 18, 19, 20(1), 21(1), 22(2) और 25(1) देखिए]

कंपनी के दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्विकताओं का क्रम

भाग 1

प्रवर्ग 1

कर्मचारियों को असंदत्त वेतन, मजदूरी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा अभिदाय या भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित प्रीमियम, और कपड़ा उपक्रमों के ग्रहण की तारीख के पूर्व या पश्चात् की किसी भी अवधि की बाबत कर्मचारियों को शोध्य अन्य रकमें।

प्रवर्ग 2

कपड़ा उपक्रमों के ग्रहण की तारीख के पूर्व या पश्चात् की किसी भी अवधि की बाबत नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन से भिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और लोक वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त प्रतिभूत उधार।

प्रवर्ग 3

प्रबंध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि के दौरान व्यापार या विनिर्माण प्रयोजनों के लिए लिया गया कोई ऋण।

प्रवर्ग 4

कपड़ा उपक्रमों के ग्रहण की तारीख के पश्चात् की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें।

भाग 2

प्रवर्ग 5

प्रबंध-ग्रहण से पूर्व की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों या राज्य विद्युत बोर्डों को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट, या अन्य शोध्य रकमें।

प्रवर्ग 6

प्रबंध-ग्रहण के पूर्व की अवधि के दौरान व्यापार या विनिर्माण प्रयोजनों के लिए लिया गया कोई ऋण।
